18/4/2023	प्रार्थी/प्रार्थिनी के वकील द्वारा धारा 127 दं.प्र.सं. के अंतर्गत भरण पोषण की राशि बढ़ाने के संबंध में दायर आवेदन पत्र में अनावेदक की आय के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया है। प्रार्थी/प्रार्थिनी के द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत